(घ) किसी आधार पर अनियमितताओं को दूर नहीं किया जा सका ; और

(ङ) क्या अनियमितताओं को दूर करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो कब तक और किस तरीके से ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ). पूर्वोत्तर रेलवे के चल टिकट परिक्षकों को समेकित यात्रा भत्ता दिया जाता है जो वर्तमान अनुमत दरों के हिसाब से 17 दिनों के यात्रा भत्ते के बराबर होता है । एक चल टिकट परीक्षक वास्तविक यात्रा के आधार पर एक महीने में औसतन इतना ही भत्ता अर्जित करेगा । समेकित यात्रा भत्ते की दर संहिता नियमों को ध्यान में रख कर निश्चित की जाती है । इन नियमों में वह व्यवस्था है कि भत्ते को लाभ कमाने का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए और इसकी गणना इस प्रकार की जानी चाहिए कि यदि समेकित यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता तो अन्ततः यह भता, नियमों के अनुसार दिये जाने वाले यात्रा भत्ते के बराबर हो । यह भाग (क) में उल्लिखित रेलवे बोर्ड के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के प्रतिकूल भी नहीं है ।

समस्तीपुर से बगाहा तक बड़ी रेलवे लाइन

3158. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर से बगाहा तक बड़ी रेल गाड़ी लाइन का निर्माण किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बड़ी लाइन का निर्माण कब हाथ में लिया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). इस सुझाव में मुजफ्फरपुर तथा संगोली होकर समस्तीपुर से बगाहा तक मीटर लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन निहित है । दरभंगा होकर और मुजफ्फरपुर तथा संगोली के वैकल्पिक मार्ग से समस्तीपुर-रक्सौल मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण इस समय किये जा रहे हैं । सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद इस आमान परिवर्तन योजना पर आगे विचार किया जायेगा । फिर भी, इस समय संगोली-बागहा मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चलती रेलगाड़ी में अपराध

3159. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बाल्मीकी चौधरी :
श्री के० कृ० दासचौधरी :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या रेलवे मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलती रेलगाड़ियों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, अपराध बहुत बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों में अपराध के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इन अपराधों को रोकने तथा यात्रियों की जान और माल की रक्षा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1967 की तुलना में 1968 में उत्तर प्रदेश राज्य में चलती गाड़ियों में अपराधों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है लेकिन सब रेलों को मिला कर चलती गाड़ियों में अपराधों की कुल संख्या कुछ बढ़ गयी है ।

(ख) रेल में अपराधों का सम्बन्ध निकटवर्ती क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समग्र स्थिति है । एक विवरण जिसमें पिछले तीन वर्षों (1966, 1967 और 1968) के दौरान चलती गाड़ियों में अपराधों के राज्यवार आंकड़े दिये

गये हैं । सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या LT— 1642/69]

(ग) (i) रेलवे पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर निगरानी रखने और अपराधियों तथा समाज-विरोधी तत्वों को पकड़ने के लिए आवधिक छापे मारने जैसे सामान्य पुलिस-प्रबन्धों को सुदृढ़ बनाने के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों ने प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र गश्त विशेष शिविर लगाकर सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय भी किये हैं ।

(ii) रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए यार्डों में और प्लेटफार्मों पर ड्यूटी देने वाले रेल सुरक्षा दल के कर्मचारियों को कड़ी हिदायतें भी जारी की गई हैं की गयी हैं, कि यदि रेल कर्मचारियों या यात्रियों आदि पर हिंसात्मक हमला किया जाये, तो घटना-स्थल पर तुरन्त पहुंचें और जिन लोगों पर इस तरह का हमला किया गया हो, उनकी हर सम्भव सहायता करें ।

तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के कारण रेलवे की हानि

3160. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 से अब तक तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के कारण रेलवे सम्पत्ति की हानि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में इसके मुख्य कारण क्या है ; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1967-68 से 30-6-69 तक तोड-फोड़ के कारण रेल सम्पति की जितनी हानि हुई उसका ब्यौरा इस प्रकार है: —

1. आंध्र प्रदेश	—	1,19,550 रुपये
2. असम		54,529 ,,
3. बिहार	—	39,550 ,,
4. महाराष्ट्र		25½,,
5. मध्य प्रदेश	—	200 ,,
6. उड़ीसा		15,500 ,,
7. पंजाब		1,000 ,,
8. उत्तर प्रदेश		8,81,432 ,,
9. पश्चिम बंगाल	—	3,99,583 ,,

(ख) रेल सम्पत्ति की हानि, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आन्दोलनकारियों की कार्यवाइयों के कारण, असम में उपद्रवी नागाओं की कार्यवाईयो के कारण और दूसरे राज्यों में सामाज-विरोधी तत्वों की कार्यवाईयों के कारण हुई ।

(ग) तोड़ फोड़ से रेल पथ और रेल सम्पत्ति की सुरक्षा का मूल उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । लेकिन चूंकि रेलों का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए रेल प्रशासनों ने भी इन अपराधों की रोक-थाम के लिए कुछ उपाय किये हैं, जैसे भेद्य खण्डों पर रेलवे सुरक्षा दल और इंजीनियरिंग गैंगमैनों द्वारा पुलिस के साथ मिलकर रेल-पथ पर गश्त लगाना, तोड़-फोड़ करने वालों के बारे में आसूचना देने वालों को उपयुक्त पुरस्कार देना और रेल पथ पर नियुक्त मजदूरों के पूर्व-वृत्त की अच्छी तरह छान-बीन करना । राज्य सरकारों को हिदायत दी गयी है कि वे रेल-पथ के साथ वाले गांव में शिक्षात्मक प्रचार करने, रेल-पथ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन गांवों के निवासियों को